

Title: Urged the Government to reconsider the decision of population-based recruitment of soldiers to the Army with particular reference to Himachal Pradesh.

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय ने जब से आबादी के आधार पर भर्ती का नियम बनाया है तब से कुछ पहाड़ी प्रदेशों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका प्रभाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में अपना योगदान देने को गौरव समझते हैं। मुझे बताते हुए भी गौरव होता है कि पिछले दिनों कारगिल के युद्ध के दौरान भी आबादी के आधार पर अधिक संख्या में वहां के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। देश में मिले चार परमवीर चक्रों में से दो परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए। अभी सियरी लियोन में भी अनेक जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जवा वहां के नौजवानों में देश की सेना में जाने का है और वहां देश की सेवा करने की जो भावना है, उसे ध्यान में रखते हुए आबादी के आधार पर जो भर्ती का नियम बनाया है, उसे बदला जाए ताकि जो लोग सेना में जाने के इच्छुक हैं, उनको जाने का अवसर प्राप्त हो सके।